न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द आर.ए.एस.

अपील संख्या 2018/00151 (76/2018) राज. उप. (इ.गा.न.प. क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23

राजेन्द्र पुत्र पतराम जाति जाट साकिन रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा।
2. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बड़ोपल । –रेस्पोडेण्ट्

विरूद्ध आदेश दिनांक 04.12.2017 उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर पीलीबंगा

प्रकरण संख्या 100/17 बअनवान तहसीलदार बनाम राजेन्द्र कुमार

श्री मदन पारिक अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री खुशकरणसिंह खोसा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांकः–10.05.2019

1. सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष तहसीलदार (भू.अ.) पीलीबंगा द्वारा एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि ग्राम बड़ोपल बारानी के खसरा नं. 865 की 3.668 व खसरा नं. 1216 रकबा 2.530 है0 भूमि राजेन्द्र पुत्र पतराम के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज। खसरा नं. 1216 की भूमि घग्घर के नाम है व खसरा नं. 865 की भूमि वन विभाग के नाम दर्ज है। शेष रकबा किसी भी सरकारी खाते में दर्ज नहीं है। घग्घर का रकबा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर एस बी रिट 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट में प्रतिबंधित है व वन विभाग का रकबा किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित नही किया जा सकता। कुछ रकबा किसी भी सरकारी खाते में न होते हुए भी आवंटन किया गया है जो निरस्त योग्य है। अप्रार्थी को उक्त आवंटन नियम विरूद्ध किया गया है अतः आवंटन को रद्द किया जावे। विचारण न्यायलाय ने प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरफा निर्णय पारित किया है। मूल आवंटन पत्रावली तलब किये बगैर एवं पूर्ण जांच किये बगैर गलत दस्तावेजात के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलाण्ट के आवेदन पत्र पर पूर्ण जांच कर भूमि पुख्ता आवंटित की गई थी। भूमि की सनद खातेदारी लेते समय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पूर्ण जांच कर सनद खातेदारी जारी की थी इसलिए कयास के आधार पर रेस्पोडेण्ट के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर अहम कानूनी भूल की है। प्रश्नगत भूमि पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलाण्ट का 1983 से लगातार कब्जा काश्त है। अपीलाण्ट का पता बड़ोपल अंकित किया गया है जबकि अपीलाण्ट इस पते पर नहीं रहता है। अपीलाण्ट को कोई सम्मन जारी नही किये गये हैं। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 का कोई जवाब नही लिया गया है। बिना तलबी कराऐ अपीलाधीन निर्णय पारित कर अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि को निरस्त किया गया है। आवंटन के 18 वर्ष बाद सनद खातेदारी जारी होने के 10 वर्ष बाद बिना किसी तथ्यों के आधार पर एवं जांच करवाये बगैर ऐसा आवंटन खारिज नहीं किया जा सकता है। प्रकरण पर नियम 21 के प्रावधान लागू होते है। आवंटन के विरूद्ध प्राथी को नियम 30 के प्रावधानों के विरूद्ध अपील करने का प्रावधान हैं जिसकी मियाद 30 दिन है इसलिए आवंटन आदेश अन्तिम हो चुका है जिसके विरूद्ध रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी ने कोई कार्यवाही नहीं की है। आवंटन किस प्रकार नियम विरूद्ध है इसका कोई साक्ष्य पेश नही किया है। प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट को टीसी पर आवंटन थी जो नवीनीकरण होती रही बाद में इस भूमि को टीसी धारक होने के कारण पुख्ता आवंटन की गई है। टीसी धारक होने के कारण अपीलाण्ट प्रश्नगत भूमि को आवंटन कराने का हकदार था। प्रश्नगत भूमि पर अपीलाण्ट का आज भी कब्जा काश्त है। प्रश्नगत भूमि घग्घर बहाव क्षेत्र व वन विभाग के नाम से नहीं है। घग्घर बहाव क्षेत्र से काफी दूर है। अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय की कोई जानकारी व सूचना नही दी गई। राजस्व अभिलेख की नकल प्राप्त करने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तब अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई। अपील ज्ञान से अंदर मियाद है। अतः डिले कन्डोन की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2011 (1) आरआरटी पेज 602, 2005 (1) आरआरटी पेज 588, 2018 (1) आरआरटी पेज 299, 2018 (2) आरआरटी पेज 1007 एचसी, 2019 (1) आरआरटी पेज 226, 2016–17 आरआरटी पेज 242 व पेज 304, 2018 (1) आरआरटी पेज 152 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी को नोटिस दिया गया था लेकिन वह इसके बावजूद वह उपस्थित नही आया। विचारण न्यायालय ने विधि सम्मत अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, फिर भी अपीलाण्ट कोई अपना साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है तो वह अपीलीय न्यायालय में कर सकता है। ग्राम बड़ोपल बारानी के खसरा नं. 865 की 3.668 व खसरा नं. 1216 रकबा 2.530 है0 भूमि कृष्ण पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन बड़ोपल के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज। खसरा नं. 1216 की भूमि घग्घर के नाम है व खसरा नं. 865 की भूमि वन विभाग के नाम दर्ज है। शेष रकबा किसी भी सरकारी खाते में दर्ज नहीं है। घग्घर का रकबा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर एस बी रिट 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट में प्रतिबंधित है व वन विभाग का रकबा किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित नही किया जा सकता। कुछ रकबा किसी भी सरकारी खाते में न होते हुए भी आवंटन किया गया है जो निरस्त योग्य है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष अभिभाषक गण की बहस पर मनन किया एव पत्रावली का अवलोकन किया।

6. धारा–5 मियाद अधिनियम के तथ्यों एवं अपील के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

7. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है रेस्पोडेण्ट संख्या 1/प्रार्थी के आवेदन पर विचारण न्यायालय ने ग्राम बड़ोपल बारानी के खसरा नं. 865 की 3.668 है. व 1216 की 2.530 है. घग्घर के नाम एवं वन विभाग के नाम दर्ज होने के कारण प्रश्नगत आवंटन

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy, Not Official

को निरस्त किया है। प्रश्नगत भूमि घग्घर के नाम व वनविभाग के नाम है, जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी खतौनी संवत 2050 से होती है। प्रश्नगत भूमि घग्घर एवं वन विभाग के नाम दर्ज है एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर एसबी.रिट सं0 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट में भी प्रतिबंधित है। वन विभाग का रकबा अन्य किसी व्यक्ति को आवंटित नही किया जा सकता है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों में भी यह प्रतिबंधित है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय अनुसार पुलिस थाना पीलीबंगा में मुकदमा दर्ज होने पर श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा जांच की गई थी। इस प्रकार अपलाण्ट का यह तर्क भी मान्य नही है कि बिना किसी जांच के अपीलाण्ट को आवंटित रकबा निरस्त कर दिया गया है। अपीलाण्ट का कथन है कि उसको अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का अवसर नहीं मिला है। अपीलाण्ट को यदि अधिनस्थ न्यायालय में सुनवाई का समुचित अवसर नही मिला है तो वह अपने कथन एवं साक्ष्य यहां अपील में भी कर सकता है, लेकिन अपीलाण्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह प्रकट होता हो कि प्रश्नगत संवत 2050 में घग्घर के नाम न हो या वन विभाग के नाम से दर्ज न हो। प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ जो दस्तावेज पेश किये हैं वे केवल सनद की फोटो प्रति एवं आक्टर्न आदेश की प्रमाणित प्रति पेश की गई है, पर्याप्त नही है। संवत 2050 से पूर्व की कोइ जमाबंदी प्रस्तुत नहीं की गई है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण के तथ्यों से भिन्न तथ्यों पर आधारित होने क कारण चस्पा नही होते हैं। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.12.2017 यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

10/5/19

(मूल चन्द आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official